न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा, जिला कोटा (राज.)
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	दायरा तिथि	फैसल तारीख
54 / 2023	16.06.2023	21/7/23

बउनवान

हेमराज पुत्र सुखदेव जाति धाकड निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेम में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अयाना पटवार हलका अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खाता संख्या 878 खसरा संख्या 760 रकबा 0.30है., खसरा संख्या 837 रकबा 0.42है., कुल किता 2 कुल रकबा 0.72है., कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी के पिता उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज है। उक्त रिकार्ड को वाद–पत्र में आगे विवादित रिकार्ड के नाम सम्बोधित किया गया है।

वादी के जैविक पिता का नाम लक्ष्मीनारायण है। वादी सुखदेव के यहा दत्तक गया है। वादी सुखदेव के यहां दत्तक जाने से पूर्व विवादित भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज थी। इसलिए राजस्व अभिलेख में वादी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज था। किन्तु तमाम शासकीय दस्तावेजों, व्यक्तिगत पहचान इत्यादि में वादी को हेमराज पुत्र सुखदेव के नाम से ही जाना पहचाना जाता रहा है। उक्त कारण से वादी को अपने राजस्व रिकार्ड के समेकन, भू सुधार, बैंक सहकारी शाखाओं इत्यादि में कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड रहा है।

विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इस परिस्थिति में वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध वाद लाने के लिये धारा 80 दी. प्र. सं. के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) दी.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र पृथक् से प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

यह कि वाद कारण दिनांक 14.06.2023 वादी द्वारा प्रतिवादी से ऊपरवर्णित त्रुटि परिशुद्ध करने बाबत निवेदन किया तो शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

यह कि न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे, विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें कि (ग्राम अयाना पटवार हलका अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खाता संख्या 878 खसरा संख्या 760 रकबा 0.30है., खसरा संख्या 837 रकबा 0.42है., कुल किता 2 कुल रकबा 0.72है., कृषि भूमि स्थित है। भूमि में वादी का नाम हेमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर हेमराज पुत्र सुखदेव अंकित कर दिया जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रकरण में भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हलका की रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हलका एवं भू0अ0निरीक्षक द्वारा संयुक्त रिपोर्ट में अंकन किया है कि ग्राम अयाना के आराजी खाता संख्या 878 खसरा संख्या 760 रकबा 0.30है., खसरा संख्या 837 रकबा 0.42है.,कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी हेमराज के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज है। अतः प्रार्थी लक्ष्मीनारायण के स्थान पर पिता का नाम सुखदेव दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी के पिता का नाम आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, परिचय पत्र वगै0 में सुखदेव दर्ज है। प्रार्थी हेमराज पूर्व में अपने ताउजी सुखदेव के गोद गया था जिसके कारण ग्राम अयाना के खाता सं. 877 में प्रार्थी हेमराज के पिता का नाम सुखदेव दर्ज रेकार्ड है। ग्राम अयाना के खाता सं. 878 मे हेमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है। अतः प्रार्थी के दस्तावेजों में पिता का नाम सुखदेव दर्ज है कृषि भूमि में पिता का नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को केसीसी इत्याद्वि कार्यों में परेशानी हो रही है। अतः प्रार्थी हेमराज के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सुखदेव कराना चाहता है। पटवार हलका एवं भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ मजमेआम में तैयार किया गया मौका पर्चा भी संलग्न है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि वादी का के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सुखदेव सही किया जाना उचित है। भू0अ0निरीक्षक एवं पटवार हलका की रिपोर्ट विस्तृत एवं पर्याप्त है इसलिए जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजीयात् में वादी हेमराज के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सुखदेव किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं मौका पर्चा एवं पटवार हलका एवं भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सुखदेव किया जाना उचित है। अन्य रेकार्ड में भी वादी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सुखदेव है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

...क कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम अयाना के आराजी खाता संख्या 878 खसरा संख्या 760 रकबा 0.30है., खसरा संख्या 837 रकबा 0.42है, ,कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 है0 कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम हेमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर हेमराज पुत्र सुखदेव दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट्र-ट्रेक) इटावा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोर्ट

"1"

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

हेमराज पुत्र सुखदेव जाति धाकड निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आरटीएक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम अयाना के आराजी खाता संख्या 878 खसरा संख्या 760 रकबा 0.30है., खसरा संख्या 837 रकबा 0.42है.,कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 है0 कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम हेमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर हेमराज पुत्र सुखदेव दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक ...21/7/23...... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा